अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
"राजस्थान सरकार का उपक्रम"

क्र. अविविनिलि/अ.एवं प्र.नि/अ.अ. (योजना)/प्र. No - 4335 दिनांक 13 NOV 2006

आदेश – 373.

विषय :– कृषि कनेक्शन के बढ़े हुए भार वृद्धि को माप कर नियमित करके बिलिंग करना।

कृषि कार्यो हेतु रबी की बुआई के साथ विद्युत की खपत में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। कृषि क्षेत्रों में उपभोक्ताओं द्वारा अनाधिकृत भार बढ़ाने से खपत स्वीकृत भार से अधिक हो रही है। विद्युत कोटे का आंवटन स्वीकृत भार के आधार पर किया जाता है जिसमें अनाधिकृत भार वृद्धि से कमी एवं विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं तथा राजस्व की हानि भी हो रही है।

अतः यह आवश्यक है कि सभी कृषि उपभोक्ताओं के स्वीकृत भार को शत प्रतिशत जांच कर यह सुनिश्चित किया जाए कि उपभोक्ता के यहाँ चालू भार के आधार पर उसकी बिलिंग हो।

अतः यह आदेश दिया जाता है कि निगम के पवस (O&M) एवं सतर्कता शाखा के सहायक एंव कनिष्ठ अभियन्ता अपने क्षेत्र के सभी कृषि उपभोक्ता का लोढ़ चेक करें एवं स्वीकृत भार से अधिक पाये जाने पर :–

1. बिना वीसीआर (VCR) या चेकिंग रिपोर्ट भरे उपभोक्ता को अनाधिकृत भार की लिखित में सूचना दी जाए एवं बिना कोई पेनल्टी राशि लिए, उसे नियमित किया जावे तथा निगम नियमानुसार धरोहर राशि (Security) ली जावे एवं तदानुसार बिलिंग शुरू की जाए।
2. जो उपभोक्ता एक कनेक्शन पर दो मोटरें एक ही खसरे में चलाते है वहां पर भी अनाधिकृत भार वृद्धि पाये जाने पर बिना कोई पेनल्टी राशि लिए कृषि नीति वर्ष 2004 (संशोधित–18.09.2004) बिन्दु संख्या 23 (iii) के अनुसार राशि लेकर भार वृद्धि नियमन किया जावे एवं तदानुसार बिलिंग शुरू कर दी जाए।

3. अगर उपभोक्ता स्वीकृत भार को समान रखते हुए दो भागों में विभाजित कर, उसी खसरे में दो कुएँ चलाते हुए पाया जाता है तो, उसे बिना कोई पेनल्टी राशि लिए उसे नियमित कर दिया जावें।
4. जहाँ उपभोक्ता अथवा गैरउपभोक्ता मौके पर चोरी करते हुए पकड़े जाएं, उस पर निगम नियमानुसार कार्यवाही की जावे एवं पैरा 1, 2 एवं 3 की सुविधा नहीं दी जाए।

उपरोक्त कार्य को हर हालत में माह नवम्बर 06 तक पूरा कर लिया जाए। सभी संभागीय मुख्य अभियन्ता एवं वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता इसकी प्रगति की दैनिक समीक्षाकर निगम मुख्यालय को 15 दिन में संक्षिप्त प्रतिवेदन, जिसमें अनाधिकृत भार वृद्धि के नियमन किये गये प्रकरणों की संख्या, भार वृद्धि के किलोवॉट एवं प्रतिमाह राजस्व वृद्धि का आंकलन उपखण्डवार करके भेजें।

(एस.बी.दत्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :
1. सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (अ.सं./उ.सं./झु.सं.) अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर/उदयपुर/झुंझुनु।
2. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
3. वित्तीय सलाहकार एवं लेखानियन्त्रक, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
5. सचिव (प्रशासन), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
6. अधीक्षण अभियन्ता ( ), अ.वि.वि.नि.लि., ——————————।
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
8. प्रावेधिक–सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,अजमेर डिस्कॉम, विद्युत भवन, जयपुर।
9. कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी (राजस्व/आं. अंकेक्षण), अ.वि.वि.नि.लि., ——————।
11. जन सम्पर्क अधिकारी, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
12. निजी–सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, अजमेर डिस्कॉम, जयपुर।
13. सहायक लेखाधिकारी (नियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।

अधीक्षण अभियंता (योजना)